बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

सं०सं०-स0क०निग0-67/2018-2564/ श्रीमती कुसुम कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाहा, पश्चिम चम्पारण (सम्प्रति सेवा से बर्खास्त) के विरूद्ध बाल विकास परियोजना कार्यालय, गौनाहा में छापेमारी के दौरान आलमीरा से ऑगनबाडी केन्द्रों से अवैध रूप से वसूली गयी राशि 43,750 /- रूपये के साथ वसूली गयी राशि की सूची बरामद होने पर श्रीमती कुमारी को विभागीय अधिसूचना सं0-1985 दिनांक-03.07.2009 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र- 'क' गठित कर विभागीय संकल्प सं0-2003 दिनांक-06.07.2009 एवं संकल्प सं0-324 दिनांक-20.01.2012 द्वारा द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-3801 दिनांक-22.08.2014 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्रीमती कुमारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को प्रमाणित बताये जाने पर प्रमाणित आरोपों के लिए आरोपी पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक-4117 दिनांक-05.09.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की माँग करते हुए प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।

3. उक्त निर्णित शास्ति प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-5516 दिनांक-17.11.2017 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की मांग किये जाने पर आयोग के पत्रांक-2650 दिनांक-01.02.2018 द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

4. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श प्राप्त होने के उपरांत निर्णित शास्ति का संलेख ज्ञापांक-1560 दिनांक-14.03.2018 के द्वारा मंत्रिपरिषद को भेजी गई। दिनांक-20.03.2018 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के मद सं०-22 पर स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त विभागीय अधिसूचना सं०-1851 दिनांक-26.03.2018 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14(सी) के तहत श्रीमती कुमारी को "सेवा से बर्खास्त" करने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गई।

5. श्रीमती कुमारी द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक-10.05.2024 के माध्यम से उक्त शास्ति के विरूद्ध पुनर्विलोकन आवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें उठाये गये तथ्यों पर पूर्व में ही संचालन पदाधिकारी एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विचारण किये जाने के दृष्टिगत पुनर्विचार आवेदन में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं होने से इनके पुनर्विलोकन आवेदन को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त कर विभागीय अधिसूचना सं0- 4513 दिनांक- 13.09.2024 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

6. उपरोक्त के विरुद्ध श्रीमती कुमारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी०डब्लू0जे0सी0 सं0-16582/2024 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-21.11.2025 को न्यायादेश पारित किया गया है। उक्त न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"18. Considering the aforesaid discussions, the imposition of major penalty of dismissal from the service is unsustainable. Accordingly, the impugned order dated

26.03.2018, by which the petitioner has been dismissed from the service and the revisional order dated 13.09.2024 by which the revision application of the petitioner has been rejected are hereby quashed and set aside.

19. Since the impugned order, by which the petitioner has been dismissed from the service, has been quashed by this Court, the petitioner will be entitled to all admissible consequential and monetary benefits in accordance with law."

7. विभाग द्वारा उपरोक्त न्यायादेश के विरुद्ध एल०पी०ए० दायर किये जाने के बिन्दु पर विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"I am afraid, a very weird procedure was followed by the Inquiry Officer. It is not the duty of delinquent to prove her innocence. The stage will arrive only when prosecution proves the charges. Onus is on prosecution to prove the charges and not on delinquent to prove her innocence. The method adopted by the Inquiry Officer is alien to the concept of conducting a department inquiry. As the Inquiry was vitiated, obviously consequential decision is bound to fail. Accordingly writ court has held that the inquiry was conducted sans the statutory prescription and cannons of principles of natural justice. I do not find any error having been committed by the writ court, while it has set aside the order of punishment of dismissal from service. No case for filing LPA is made out."

8. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-21.11.2025 को पारित न्यायादेश एवं महाधिवक्ता, बिहार से प्राप्त परामर्श के आलोक में उक्त न्यायादेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं किये जाने की स्थिति में पारित न्यायादेश का अनुपालन किया जाना बाध्यकारी होने के दृष्टिगत मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0-1093 दिनांक-20.11.2018 में निहित प्रावधानानुसार इस मामले को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के विचारार्थ रखने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग एवं विधि विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त करते हुए नोडल विभाग विधि विभाग के माध्यम से समिति के समक्ष मामले को प्रस्तुत किये जाने पर उच्चस्तरीय समिति द्वारा दिनांक- 18.03.2026 की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्न अनुशंसा की गयी :-

"समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत CWJC No.-16582/2024 (कुसुम कुमारी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-21.11.2025 को पारित न्यायादेश का अनुपालन किये जाने के दृष्टिपथ श्रीमती कुसुम कुमारी की सेवा से बर्खास्तगी के दण्डादेश को निरस्त करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश का अक्षरशः अनुपालन किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह याचिकाकर्ता के संदर्भ में हीं प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।"

09. समिति द्वारा की गई उपरोक्त अनुशंसा के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्रीमती कुसुम कुमारी को विभागीय अधिसूचना सं0- 1851 दिनांक- 26.03.2018 द्वारा दिये गये दण्डादेश को निरस्त किये जाने तथा इन्हें देय अनुमान्य परिणामी एवं वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्रीमती कुसुम कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाहा, पश्चिम चम्पारण के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं0- 1851 दिनांक- 26.03.2018 द्वारा सेवा से बर्खास्त किये जाने की शास्ति को निरस्त किया जाता है।

2. श्रीमती कुसुम कुमारी को सभी अनुमान्य परिणामी एवं वित्तीय लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:- स0क0निग0- 67/2018- 2564 पटना-15 दिनांक- 27/5/2026

प्रतिलिपि:- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक:- स0क0निग0- 67/2018- 2564 पटना-15 दिनांक- 27.5.2026

निबंधित

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/ प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, दरभंगा/ निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण/मधुबनी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, प0 चम्पारण/मधुबनी/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/ उप सचिव (स्था०), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय आई० टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/ श्रीमती कुसुम कुमारी, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गौनाहा, पश्चिम चम्पारण, पत्राचार का पता- पिता- स्व0 भागीरथ प्रसाद, मुहल्ला- भीखना पहाड़ी, रोड नं0- 6, थाना- पीरबहोर, जिला- पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।